भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 203

03 अगस्त, 2021 के लिए प्रश्न

असम में भारतीय खाद्य निगम के डिपो

***203. डॉ. राजदीप राय :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कोई योजना असम के कछार जिले में भारतीय खाद्य निगम के डिपो का निर्माण करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

लोक सभा में दिनांक 03.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 203 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

(क): जी हां। केंद्रीय क्षेत्र (पूर्व की योजना) स्कीम (2017-2022) "भंडारण और गोदाम" के अधीन इस विभाग ने असम के कछार जिले के अधीन सिलचर/बिहारा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 20,000 टन क्षमता के गोदाम का निर्माण करने के लिए अनुमोदन दिया है।

(ख): भारत सरकार की 12वीं पंचर्षीय योजना के अधीन बिहारा, सिलचर में 20,000 टन क्षमता के रेल पोषित गोदाम का निर्माण करने के लिए दिनांक 12.10.2012 को एक परियोजना का अनुमोदन किया गया था।

जून, 2017 में भूमि के विकल्पों का पता लगाने के उपरांत असम की राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार 14.12 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर एक भू-खण्ड की पेशकश की थी। भारतीय खाद्य निगम ने नवम्बर, 2017 में भूमि लागत के लगभग 50 प्रतिशत, जो 6.68 करोड़ बैठता है, को मिलाकर कुल 7.00 करोड़ रुपये, जमा किए थे, जिसमें असम की राज्य सरकार के पास पुरानी 12 लाख रुपये की शेष राशि शामिल है। 3 पट्टा भूमि के लिए भू-अधिग्रहण अनुमानों का अनुमोदन असम राज्य सरकार द्वारा मार्च, 2021 में स्थानीय जिला प्रशासन को सूचित किया गया है और शेष 2 खास भूमियों (रेलवे और सामान्य खास भूमि) के प्रति अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।

कछार, सिलचर के अपर उपायुक्त ने दिनांक 14 जून और 20 जुलाई, 2021 के पत्रों द्वारा रेलवे से भारतीय खाद्य निगम हेतु अधिग्रहण के अधीन प्रस्तावित रेलवे की भूमि के प्रति अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया है। रेलवे ने दिनांक 17.06.2021 को अपनी भूमि पर संयुक्त सर्वेक्षण किया है और आगे की प्रगति जारी है।
भारतीय खाद्य निगम से असम की राज्य सरकार को 7.15 करोड़ रुपये की शेष राशि के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****